



बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 31.08.2022

जनपद बरेली ।

मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना सिरौली, थाना फतेहगंज पश्चिमी व थाना भमोरा पर की गयी कार्यवाही के संबंध में।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बरेली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारीगणों के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त कुल 09 अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यावाही की गयी।

➤ **थाना सिरौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 02 अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 311/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर कार्यावाही की गयी।**

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 02 अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्यावाही करते हुये दिनांक 30.08.2022 को मु0अ0सं0 311/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध निम्नलिखित मुकदमें पूर्व में पंजीकृत है। जिनकी बरामदगी का विवरण निम्नवत्त है –

अभियुक्त कुंवरपाल पुत्र भजनलाल निवासी ग्राम धीमर की गौटिया थाना सिरौली जनपद बरेली।

बरामदगी/आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 51/19 धारा 8/18 NDPS ACT में 1 किलो 150 ग्राम अफीम थाना सिरौली बरेली।
2. मु0अ0सं0 135/22 धारा 8/18 NDPS ACT में 4 किलो 50 ग्राम अफीम थाना सिरौली बरेली।
3. मु0अ0सं0 311/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिरौली जनपद बरेली।

अभियुक्त - ओमकार पुत्र भागीरथ निवासी आलमपुर कोट थाना सिरौली जनपद बरेली

बरामदगी / आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 52/19 धारा 8/18 NDPS ACT में 1 किलो 150 ग्राम अफीम।
2. मु0अ0सं0 311/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिरौली जनपद बरेली

- थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 03 अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 226/2022 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्ध एवं समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 31.08.2022 को अभियुक्तगण 1. शराफत पुत्र अमीर हसन निवासी मोहल्ला सराय करवा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली उम्र 55 वर्ष 2. श्रीमती इमराना पत्नी शाहिद उर्फ कल्लू निवासी मो० अंसारी करवा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली उम्र 47 वर्ष 3. फुरकान अली पुत्र बन्ने शाह निवासी मोहल्ला सराय करवा व थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली उम्र 29 वर्ष के विरुद्ध मु0अ0सं0 226/2022 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्ध एवं समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 पंजीकृत किया गया है। उक्त गैंग के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित मुकदमें पूर्व में दर्ज हैं।

अभियुक्त शराफत उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट
2. मु0अ0सं0 146/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

अभियुक्ता इमराना उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट
2. मु0अ0सं0 99/2022 धारा 8/21/26/61 एनडीपीएस एक्ट

अभियुक्त फुरकान अली उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 8/21/29/0 एनडीपीएस एक्ट पूर्व से पंजीकृत है।

- थाना भमौरा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 04 अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 363/22 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्ध एवं समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 पंजीकृत किया गया ।

1. भूपराम मौर्य पुत्र गंगासहाय नि0 ग्राम सांकरपुर थाना भमौरा जिला बरेली 2. शिव कुमार उर्फ कुंवरपाल पुत्र रामलाल मौर्य 50वर्ष नि0 सांकरपुर थाना भमौरा बरेली 3. संजय पुत्र श्रीनाथ नि० ग्राम नगला तेज थाना सौरिख जिला कन्नौज 4. ओमेन्द्र पुत्र श्रीराम नि0 ग्राम बैरी बजर बैरी थाना मूसाझाग जिला बदायूँ के विरुद्ध दिनांक 27.06.2022 को मु0अ0सं0 274/ 22 धारा 8/15/29/60 एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें 52 किलो डोडा छिलका के साथ चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुये थे। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भमौरा पर मु0अ0सं0 363/22 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्ध एवं समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 पंजीकृत किया गया है।